



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 06]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 2, 2015/पौष 12, 1936

No. 06]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 2, 2015/PAUSHA 12, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 6(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मूल नियम, 1922 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मूल (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये तारीख 27 अक्टूबर, 2013 को प्रवृत्त होंगे।

2. मूल नियम, 1922 में, नियम 29 में, खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(2) यदि किसी सरकारी सेवक को शास्ति कार्यवाही के रूप में किसी निचली सेवा, ग्रेड या पद अथवा किसी निचले काल-वेतनमान में अवनत किया जाता है, तो अवनति का आदेश देने वाले प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करना होगा:—

(क) वह अवधि जिसके लिए अवनति प्रभावी होगी;

(ख) क्या प्रत्यावर्तन पर, अवनति की अवधि भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के लिए प्रवृत्त होगी और यदि हां, तो किस विस्तार तक; और

(ग) क्या सरकारी सेवक उसके प्रत्यावर्तन पर वह उच्चतर सेवा, ग्रेड अथवा पद या काल-वेतनमान में उसकी मूल ज्येष्ठता दोबारा प्राप्त करेगा जिस सेवा, ग्रेड अथवा पद या काल-वेतनमान से वह अवनत किया गया था।

[फा. सं. 6/2/2013-स्था.(वेतन-I)]

मुकेश चतुर्वेदी, निदेशक (वेतन)

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भारत के असाधारण राजपत्र भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 263(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2013 द्वारा प्रकाशित मूल (संशोधन) नियम, 2013 में मूल नियम, 1922 के नियम 29 के खण्ड (2) का उप-खण्ड (ग) उस नियम के खण्ड (3) के रूप में गलत उल्लिखित हो गया था। उक्त नियमों की अधिसूचना की तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से आवश्यक संशोधन किया जाना अपेक्षित है। यह प्रमाणित किया जाता है कि भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किए जाने से कोई भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

टिप्पण : मूल नियम राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और 01 जनवरी, 1922 को प्रवृत्त हुए थे तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :

1. वित्त मंत्रालय, अधिसूचना सं. 2(क)-स्था. III/61 तारीख 1.02.1963 सा.का.नि. सं. 253 तारीख 9.02.1963.
2. वित्त मंत्रालय, अधिसूचना सं. 1(1)-स्था. III(क)/65 तारीख 20.01.1965 सा.का.नि. सं. 415 तारीख 13.03.1965.
3. वित्त मंत्रालय, अधिसूचना सं. 1(25)-स्था. III(क)/64 तारीख 30.11.1965 सा.का.नि. सं. उपलब्ध नहीं है।
4. वित्त मंत्रालय, अधिसूचना सं. एफ. 1(25)-स्था. III(क)/64 तारीख 1.10.1966 सा.का.नि. सं. 1582 तारीख 15.10.1966.
5. वित्त मंत्रालय, अधिसूचना सं. 1(3)-स्था. III(क)/64 पीटी. II तारीख 18.7.1967 सा.का.नि. सं. उपलब्ध नहीं है।
6. वित्त मंत्रालय, अधिसूचना सं. 1 (6)-स्था. III(क)/68 तारीख 26.04.1968 सा.का.नि. सं. 896 तारीख 18.5.1968.
7. वित्त मंत्रालय, अधिसूचना सं. 1 (25)-स्था. III(क)/64 तारीख 27.05.1970 सा.का.नि. सं. 1337 तारीख 12.09.1970.
8. वित्त मंत्रालय, अधिसूचना सं. 18(13)-स्था. IV(क)/70 तारीख 29.01.1971 सा.का.नि. सं. 178 तारीख 6.02.1971.
9. वित्त मंत्रालय, अधिसूचना सं. एफ. 6(2)-स्था. III(ख)/68 तारीख 20.3.1971 सा.का.नि. सं. 481 तारीख 3.4.1971.
10. वित्त मंत्रालय, अधिसूचना सं. एफ. 6(28)-स्था. III(ख)/68 तारीख 23.12.1971 सा.का.नि. सं. 61 तारीख 01.01.1972.
11. वित्त मंत्रालय, अधिसूचना सं. 1(9)-स्था. III(क)/74 तारीख 30.10.1974 सा.का.नि. सं. 1208 तारीख 16.11.74.
12. गृह मंत्रालय, अधिसूचना सं. 1(6)-पी.यू. 1/79 तारीख 23.11.1979 सा.का.नि. सं. 1449 तारीख 08.12.1979.
13. कार्मिक विभाग एवं ए. आर., अधिसूचना सं. एफ. 1(8)-पी.यू. 1/80 तारीख 29.1.1981 सा.का.नि. सं. 154 तारीख 14.2.1981.
14. गृह मंत्रालय, अधिसूचना सं. 1/9/79-स्था.(वेतन-I) तारीख 6.10.1983 सा.का.नि. सं. 4102 तारीख 12.11.1983.
15. गृह मंत्रालय, अधिसूचना सं. 13/5/84-स्था.(वेतन-I) तारीख 17.8.1984 सा.का.नि. सं. उपलब्ध नहीं है।
16. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, अधिसूचना सं. 13/5/84-स्था.(वेतन-I) तारीख 24.9.1985 सा.का.नि. सं. 950 तारीख 12.10.85.
17. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, अधिसूचना सं. 11/1/85-स्था.(वेतन-I) तारीख 24.04.1986 सा.का.नि. सं. 335 तारीख 10.5.1986.
18. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, अधिसूचना सं. 4/17/88-स्था.(वेतन-II) तारीख 23.6.1989 सा.का.नि. सं. 477 तारीख 15 जुलाई, 1989.
19. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, अधिसूचना सं. 1/10/89-स्था.(वेतन-I) तारीख 30.08.1989 सा.का.नि. सं. 679 तारीख 16.09.1989.
20. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, अधिसूचना सं. 1/10/89-स्था.(वेतन-I) तारीख 28.11.1990 सा.का.नि. सं. 744 तारीख 15.12.1990.
21. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, अधिसूचना सं. 4/3/97-स्था. (वेतन-II) तारीख 12.3.1999 सा.का.नि. सं. 208(अ) तारीख 15.3.1999.

22. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, अधिसूचना सं. 13/6/95-स्था. (वेतन-I) तारीख 10.8.2000 सा.का.नि. सं. उपलब्ध नहीं है।
23. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, अधिसूचना सं. 1/6/97-स्था. (वेतन-I) तारीख 30.01.2001 सा.का.नि. सं. 76.
24. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, अधिसूचना सं. 4/1/2009-स्था. (वेतन-II) तारीख 21.1.2010 सा.का.नि. सं. 23.
25. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, अधिसूचना सं. 6/2/2013-स्था. (वेतन-I) तारीख 27.10.2013 सा.का.नि. सं. 263(अ) तारीख 27.10.2013.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2015

G.S.R. 6(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Fundamental Rules, 1922, namely:—

1. (1) These rules may be called the Fundamental (Amendment) Rules, 2014.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 27th October, 2013.

2. In the Fundamental Rules, 1922, in rule 29, for clause (2), the following clause shall be substituted, namely:—

“(2) If a Government servant is reduced as a measure of penalty to a lower service, grade or post or to a lower time-scale, the authority ordering the reduction shall specify,—

- (a) the period for which the reduction shall be effective;
- (b) whether, on restoration, the period of reduction shall operate to postpone future increments and, if so, to what extent; and
- (c) whether the Government servant shall regain his original seniority in the higher service, grade or post or time-scale on his restoration to the service, grade or post or time-scale from which he was reduced.”

[F. No. 6/2/2013-Estt. (Pay-I)]

MUKESH CHATURVEDI, Director (Pay)

EXPLANATORY MEMORANDUM

In the Fundamental (Amendment) Rules, 2013 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 263(E) dated the 27th October, 2013, sub-clause (c) of clause (2) of rule 29 of the Fundamental Rules, 1922 was wrongly mentioned as clause (3) to that rule. Necessary amendment is required to be made retrospectively from the date of notification of the said rules. It is certified that none will be adversely affected by giving retrospective effect to the amendment.

Note : The principal rules were published in Official Gazette and came into force with effect from 1st January, 1922 and were subsequently amended *vide*:

1. Ministry of Finance Notification No. 2(a)-E. III/61 dated 1.02.1963 G.S.R. No. 253 dated 9.02.1963.
2. Ministry of Finance Notification No. 1(1)-E. III (A)/65 dated 20.01.1965 G.S.R. No. 415 dated 13.03.1965.
3. Ministry of Finance Notification No. 1(25)-E. III (A)/64 dated 30.11.1965 G.S.R. No. not available.
4. Ministry of Finance Notification No. F. 1(25)-E. III (A)/64 dated 1.10.1966 G.S.R. No. 1582 dated 15.10.1966.
5. Ministry of Finance Notification No. 1(3)-E. III (A)/64 Pt. II dated 18.7.1967 G.S.R. No. not available.
6. Ministry of Finance Notification No. 1(6)-E. III (A)/68 dated 26.04.1968 G.S.R. No. 896 dated 18.5.1968.
7. Ministry of Finance Notification No. 1(25)-E. III (A)/64 dated 27.05.1970 G.S.R. No. 1337 dated 12.09.1970.

8. Ministry of Finance Notification No. 18(13)-E. IV (A)/70 dated 29.01.1971 G.S.R. No. 178 dated 6.02.1971.
9. Ministry of Finance Notification No. F. 6(2)-E. III (B)/68 dated 20.3.1971 G.S.R. No. 481 dated 3.4.1971.
10. Ministry of Finance Notification No. F. 6(28)-E.III (B)/68 dated 23.12.1971 G.S.R. No. 61 dated 01.01.1972.
11. Ministry of Finance Notification No. 1(9)-E. III (A)/74 dated 30.10.1974 G.S.R. No. 1208 dated 16.11.74.
12. Ministry of Home Affairs Notification No. 1(6)-P.U.1/79 dated 23.11.1979 G.S.R. No. 1449 dated 08.12.1979.
13. Department of Personnel & A. R. Notification No. F. 1(8)-P.U.1/80 dated 29.1.1981 G.S.R. No. 154 dated 14.2.1981.
14. Ministry of Home Affairs Notification No. 1/9/79-Estt (Pay-I) dated 6.10.1983 S.O. No. 4102 dated 12.11.1983.
15. Ministry of Home Affairs Notification No. 13/5/84-Estt (Pay-I) dated 17.8.1984 G.S.R. No. not available.
16. Department of Personnel & Training Notification No. 13/5/84-Estt (Pay-I) dated 24.9.1985 G.S.R. No. 950 dated 12.10.85.
17. Department of Personnel & Training Notification No. 11/1/85-Estt (Pay-I) dated 24.04.1986 G.S.R. No. 335 dated 10.5.1986.
18. Department of Personnel & Training Notification No. 4/17/88-Estt (Pay-II) dated 23.6.1989 G.S.R. No. 477 dated 15th July, 1989.
19. Department of Personnel & Training Notification No. 1/10/89-Estt (Pay-I) dated 30.8.1989 G.S.R. No. 679 dated 16.09.1989.
20. Department of Personnel & Training Notification No. 1/10/89-Estt (Pay-I) dated 28.11.1990 G.S.R. No. 744 dated 15.12.1990.
21. Department of Personnel & Training Notification No. 4/3/97-Estt (Pay-II) dated 12.3.1999 G.S.R. No. 208(E) dated 15.3.1999.
22. Department of Personnel & Training Notification No. 13/6/95-Estt (Pay-I) dated 10.8.2000 G.S.R. No. not available.
23. Department of Personnel & Training Notification No. 1/6/97-Estt (Pay-I) dated 30.01.2001. G.S.R. No. 76.
24. Department of Personnel & Training Notification No. 4/1/2009-Estt (Pay-II) dated 21.1.2010 G.S.R. No. 23.
25. Department of Personnel & Training Notification No. 6/2/2013-Estt (pay-1) dated 27.10.2013 G.S.R. No. 263(E) dated 27.10.2013.